

हमसिंह/सरकार

14.6.2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर शामिल किया गया। प्रा. पत्र कैसल शुमार होकर लेख भण्डार हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (बलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

अध्यासित द्वारा:- श्री मुकुट सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या
34 / 21

प्रवेश तिथि
10.05.2021

निर्णय तिथि
14-6-21

उनवान

1.श्री हेमसिंह पुत्र श्री श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील
किशनगढबास, जिला अलवर

प्रार्थी:-

बनाम

1.तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास
2.सूरजभान पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बघेरी कलां तहसील
किशनगढबास, जिला अलवर

अप्रार्थीगण:-

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:-

1.श्री जगन सिंह गुर्जर वकील प्रार्थी की ओर से
2.अप्रार्थी की ओर से इकबाल जबाब प्रार्थना पत्र।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:-

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उप पंजीयक किशनगढबास से दिनांक 11.06.2020 को तबादलानामा/विनिमय विलेख संख्या 202003359100235 पंजीबद्ध कराया था जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से उक्त तबादलानामा/विनिमय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया। परंतु अप्रार्थी संख्या 01 ने अवगत कराया कि पंजीबद्ध विनिमय दस्तावेजों का एल.आर.सी. में ई-धरती 1.0 पर हिस्से के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी के उक्त दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने पर न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय और अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) किशनगढबास को आदेश दिये जाये कि वो प्रार्थी के द्वारा पंजीबद्ध कराये गये तबादलानामा/विनिमय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर मंजूर करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)


कि वो प्रार्थी के द्वारा पंजीबद्ध कराये गये तबादलानामा/विनिमय विलेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर मन्जूर करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने इकवाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि संवत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़वास को आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड तबादलानामा/विनिमय विलेख दिनांक 11.06.2020 क्रमांक 202003359100235 के अनुसार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व राजस्व पत्रादि की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 0.3200 हे० सालिम व ख.न. 139/1870 रकबा 0.1700 हे० में से 1/2 हिस्सा, 1851 रकबा 0.9700 हे० में से 1/3 हिस्सा राजस्व ग्राम बघेरी कलां तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर तथा खसरा नंबर हाल 778 रकबा 0.2700 हे० में 19/84 हिस्सा, 770 रकबा 0.2200 हे० सालिम राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर से प्रार्थी हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर, बघेरी कलां के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर, आराजी खसरा नंबर हाल 05 रकबा 0.2500 हे० सालिम, 07 रकबा 0.2500 हे० सालिम, 08 रकबा 0.1300 हे० सालिम राजस्व ग्राम बघेरी कलां जमाबन्दी 2075 वो ख.न. 791 रकबा 0.3200 हे० में से 1/2 हि०, 783 रकबा 0.2300 हे० में से 1/4 हि०, 809 रकबा 0.4600 हे० में से 1/4 हि० में से 809/1150 हि०, ख.न. 808 रकबा 0.4600 हे० में से 1/4 हि० में से 809/1150 हिस्सा, राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़वास पर अप्रार्थी संख्या 2/सूरजभान पुत्र श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के स्थान पर प्रार्थी/हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर, बघेरीकलां के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड पत्रादि में दर्ज किया जावे तथा इसी कदर खसरा नंबर हाल 05 रकबा 0.2500 हे० सालिम, 07 रकबा 0.2500 हे० सालिम, 08 रकबा 0.1300 हे० सालिम राजस्व ग्राम बघेरी कलां जमाबन्दी 2075 वो ख.न. 791 रकबा 0.3200 हे० में से 1/2 हि०, 783 रकबा 0.2300 हे० में से 1/4 हि०, 809 रकबा 0.4600 हे० में से 1/4 हि० में से 809/1150 हि०, ख. नं. 808 रकबा 0.4600 हे० में से 1/4 हि० में से 809/1150 हिस्सा, राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़वाससे अप्रार्थी संख्या 2/सूरजभान पुत्र श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां, खातेदार के नाम को हजफ/कलमजन किया जाकर आराजी खसरा नंबर 135 रकबा 0.3200 हे० सालिम, व ख.नं. 139/1870 रकबा 0.1700 हे० में से 1/2 हिस्सा, 1851 रकबा 0.9700 हे० में से 1/3 हिस्सा राजस्व ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर तथा खसरा नंबर हाल 778 रकबा 0.2700 हे० में 19/84 हिस्सा, 770 रकबा 0.2200 हे० सालिम राजस्व ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर, प्रार्थी हेमसिंह पुत्र श्योनारायण गुर्जर बघेरीकलां खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2/सूरजभान के नाम का अंकन मुताबिक विनिमय विलेख/तबादलानामा दिनांक 11.06.2020 के अनुसार नामान्तरकरण नामान्तरकरण दर्ज वो मन्जूर करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़वास को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर काबिल लेख भण्डार में निर्णय पत्रों के साथ मालय में भुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बाघ (अलवर)
किशनगढ़बास (अलवर)